न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

रसद मामला संख्या–68/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये रामवतार पूनियां, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		बाबुलाल पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी कुचेरा जिला नागौर। (मालिक मैसर्स नन्दनी होटल, कुचेरा)

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) श्री रामवतार पूनियां

निर्णय

दिनांक –10.02.2025

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में सीज सुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस, 01 डब गैस बर्नर, 01 सिंगल गैस बर्नर, 01 तवा रोटी बनाने की भटटी को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहा।

1. प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि दिनांक 17.12.2022 को श्री अजयपाल नायब तहसीलदार मुण्डवा द्वारा घरेलू गैस की व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथम बाबत मैसर्स नन्दनी होटल कुचेरा पर आकस्मिक जांच की गई। वक्त जांच मौके पर श्री बाबुलाल पुत्र श्री मोहनलाल जाति माली निवासी कुचेरा मौके पर उपस्थित मिले। श्री बाबुलाल ने स्वयं को मैसर्स नन्दनी होटल, कुचेरा का मालिक बताया। मौके पर श्री बाबुलाल ने बताया कि वह पिछले डेढ साल से यह होटल संचालित कर रहे है तथा घरेलू गैस सिलेण्डर का ही उपयोग कर रहे है। मौके पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर मय बर्नर के उपयोग में लिये जा रहे थे। श्री बाबुलाल से घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं दुरूपयोग से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास गैस के भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर उपस्थित श्री बाबुलाल द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर मकान में भण्डारित घरेलू गैस सिलेण्डर के 03 सिलेण्डर मय गैस, 01 डब गैस बर्नर, 01 सिंगल गैस बर्नर, 01 तवा रोटी बनाने वाली भटटी को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया।

1(1) जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है।

.सं.	नाम गैस कम्पनी	एस.आर. नं.	गैस वजन
1	इण्डेन गैस	345321-E	
2	इण्डेन गैस	345225-S	
3	इण्डेन गैस	374420-S	

उपरोक्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस, 01 डब गैस बर्नर, 01 सिंगल गैस बर्नर, 01 तवा रोटी बनाने की भटटी को मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स कुचेरा गैस सर्विस, कुचेरा के प्रतिनिधि श्री श्यामसुन्दर वैष्णव की सुपुर्दगी में दिये गये है।

इस प्रकार श्री बाबुलाल पुत्र मोहनलाल का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,– 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(a)(b)(C) का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से मौके पर उपर्युक्तानुसार 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस, 01 डब गैस बर्नर, 01 सिंगल गैस बर्नर, 01 तवा रोटी बनाने की भटटी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

10/2/25

अपर कलक्टर, नागौर

2. प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। श्री अजयपाल नायब तहसीलदार मुण्डवा द्वारा मौके पर पहुंचकर आकस्मिक जांच की। मौका निरीक्षण करने पर 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस, 01 डब गैस बर्नर, 01 सिंगल गैस बर्नर, 01 तवा रोटी बनाने की भटटी मौके पर पाये गये। मौके पर अप्रार्थी श्री बाबुलाल से पूछताछ करने पर उसके पास गैस भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार के कोई वैध दस्तावेज नहीं पाये गये। जिससे अप्रार्थी का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,– 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(a)(b)(C) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो दण्डनीय अपराध है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्त सुदा इस निर्णय के पैरा संख्या 1(1) में वर्णित 3 गैस सिलेण्डर मय गैस तथा 01 डब गैस बर्नर, 01 सिंगल गैस बर्नर, 01 तवा रोटी बनाने की भटटी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत् समपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। उक्त 03 गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण किया जावे तथा गैस सिलेण्डर में पायी गयी गैस तथा 01 डब गैस बर्नर, 01 सिंगल गैस बर्नर, 01 तवा रोटी बनाने की भटटी का नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। उक्तानुसार कीमतन निस्तारण से प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। उक्त प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

3. निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/2/25

(चम्पालाल जीनगर)
अपर जिला कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर